न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 39/2018/अपील

शांन्ति देवी पत्नी चोरटाराम, निवासी पदमा की ढाणी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
अपीलान्ट

बनाम

1. क्षैत्रीय वन अधिकारी पाटन, नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।
2. सहायक वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः—
1. श्री सुशील टीलावत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विधाधर सुण्डा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस् की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान वन अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 06.04.2018 द्वारा सहायक वन संरक्षक सीकर

निर्णय

सुनवाईः 15 जनवरी, 2019 निर्णय दिनांकः 31 जनवरी, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि :—

(1) अपीलार्थीया एक गरीब किसान है तथा उक्त अपील में वर्णित कृषि भूमि स्थित पुंराना खसरा नम्बर 439/6 तथा नया खसरा नम्बर 1058 जिसका रकबा 0.69 है. तथा खसरा नम्बर नया 797/1316 जिसका रकबा 0.065 है., खसरा नम्बर 1087/1317 जिसका रकबा 0.13 है. है। इस प्रकार कुल एरिया 0.8850 है. ग्राम बोपिया, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान से ही अपीलार्थीया के परिवार का पालन पोषण होता है।

(2) क्षैत्रीय वन अधिकारी पाटन ने एक वाद न्यायालय सहायक वन संरक्षक सीकर में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलार्थीया के विरूद्व खसरा नम्बर 439/1 की 0.54 है. की वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण को बेदखल करने बाबत प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीया के विरूद्व राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा

Scanned by CamScanner

अपीलार्थीया द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थीया को बतौर अतिकमण मानते हुए उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश प्रदान किये गये।

(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का कोई नहीं है क्योंकि क्षैत्रीय वन अधिकारी को यदि कोई वाद प्रस्तुत करना होता तो राजस्थान वन अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना होना चाहिए।

(4) अपीलार्थीया उक्त कृषि भूमि पर बतौर अतिकमी नहीं होकर स्वामी, अधिकारी काविज है क्योंकि अपीलार्थीया द्वारा उक्त कृषि भूमि को जरिये पंजीकृत विकय पत्र के कय की तथा उक्त विकय पत्र के बाबत लगने वाले समस्त प्रकार के स्टॉम्प ड्यूटी के भुगतान भी अपीलार्थीया द्वारा किया गया। उक्त कृषि भूमि पर को कय करने से पूर्व घड़सीराम पुत्र रामदेव जाति कुम्हार एवं रामेश्वर पुत्र चूना जाति नाई का कब्जा पूर्व से चला आ रहा है।

(5) राजस्व विभाग का खसरा नम्बर 439 कुल 229 बीघा 18 बिस्वा का है जबकि वन विभाग का द्वारा जो गजट जारी किया गया है वह 209 बीघा 3 बिस्वा का है। वन विभाग वर्तमान कब्जा मौका अनुसार 209 बीघा 3 बिस्वा पर काविज है, जो वन विभाग की सन् 2003–2004 में भू प्रबन्धक विभाग द्वारा सर्वे शीट, मैट्रिक शीट, सैटलमेन्ट किया 2003–04 में व कब्जा मौका अनुसार नहीं होने के कारण जो वन खण्ड बोपिया कागजट भी सैटलमेन्ट द्वारा ही दिया गया है, जबकि वह मूल गजट नोटिफिकेशन व पत्रावली दिनांक 09.04.1964 की तरह मिलान नहीं खाता। वन विभाग के नक्शे पर कहीं भी सन् 1964–65 अंकित नहीं है एवं सर्वे जांचकर्ता के दिनांक व हस्ताक्षर भी नक्शे पर नहीं हैं जबकि वन विभाग सैटलमेन्ट के आधार पर जो नक्शाशीट है वह भी गलत है और वन विभाग का गजट भी गलत है, वह भी सैटलमेन्ट द्वारा जारी करवाया हुआ है। उस गजट में खसरा नम्बर साफ–साफ दिखाई नहीं दे रहा है और जो सैटलमेन्ट द्वारा प्राप्त नक्शा सीट गलत है, जिसका सबूत जी.टी. शीट है।

(6) राजस्व विभाग द्वारा सन 1947–48 से लेकर आज तक 2018 के नक्शे सही हैं जबकि 1964–65 का नक्शा फटा हुआ बताया गया है जबकि उसके पहले के नक्शे क्या नहीं फटे हुये हैं और वह नक्शा ही क्यों फटा। उस नक्शों के बाद राजस्व के नक्शे में कभी भी वन विभाग की लाईन नहीं थी जबकि जी.टी. शीट सन 1977 में भी खसरा नम्बर 1058, 797/1316 एवं 1087/1317 भी वन विभाग से बाहर है, जबकि यह गजट भी 2003–04 के सैटलमेन्ट के आधार पर तैयार करवाया गया है, जबकि

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार द्वारा जो गजट जारी किया गया है उस गजट में जितने भी वन खण्ड हसामपुर जो राजस्व ग्राम था उसमें एक ही गांव में दो वन खण्ड नहीं है, जबकि सभी गांव में वन खण्ड हसामपुर में दिये गये राजस्व ग्राम बोपिया, कुहाड़ा, कल्याणपुरा, खड़ब,शुक्लाबास, पिच्चाणी, पुरूषोत्मपुरा, बेरी, बक्सीपुरा व जाटवास जो वन खण्ड हसामपुर के नाम से ही दर्ज हैं व उसी वन खण्ड में आते हैं। इस तरह नहीं की बोपिया वन खण्ड अलग हो। जो सैटलमेन्ट द्वारा प्राप्त करवाया गया है वह राजपत्र में एक बार ही दर्ज है।

(7) प्रार्थना पत्र के साथ वन विभाग को दिया जवाब में अपीलार्थीया की ओर से मिलान क्षैत्रफल 439 खसरा नम्बर की 4 पेज में प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2018 से 2021 तक एक पेज में प्रमाणित, जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 तक दो पेज में प्रमाणित, जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2036 एक पेज में प्रमाणित, जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 तक दो पेज में प्रमाणित, जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक एक पेज में प्रमाणित, गिरदावरी सम्वत 2069 से 2072 तक एक पेज में प्रमाणित साथ ही नक्शा ट्रेस सम्वत 2005 सन 1948 का एक पेज प्रमाणित, नक्शा ट्रेस सन नहीं है। एक पेज का उप तहसील पाटन में नक्शा ट्रेस सन नहीं थी। उसमें दुबारा दिखाया गया 1982 है, नक्शा ट्रेस सन 28.08.2015 का एक पेज प्रमाणित है। नक्शा ट्रेस दिनांक 20.09.2017 का एक पेज प्रमाणित, नक्शा ट्रेस आर.टी.आई. में 1964–65 की प्रमाणित तीन पेज की है, जी.टी. शीट सन 1977 की एक पेज की प्रमाणित है, आवंटन की नकल 2 पेज प्रमाणित है जवाब की फोटो कॉपियां अपीलार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र जवाब के साथ स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रतियां पेश की, जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। उक्त समस्त दस्तावेजात अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद भी दरकिनार करने हुए विधि के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय दिनांक 12.03.2018 को सुनाया गया।

(8) राज्य सरकार नोटिफिकेशन के अनुसार वन खण्ड बोपिया में 474.5 एकड़ भूमि का कुल योग सही नहीं है, जबकि पत्रावली में 164.45 है. है तथा इसी वन खण्ड का 411.125 एकड़ जमीन है। इसी गजट नोटिफिकेशन में इतना अन्तर क्यों है। इसमें ग्राम बोपिया में 218.219 एकड़ वन भूमि वन खण्ड में शामिल की गई है, वह गलत है क्योंकि बोपिया वनखण्ड में हसामपुर वन खण्ड में से 627, 628 व 624 खसरा नम्बर भी जोड़ दिया गया। हसामपुर बोपिया राजस्व ग्राम के बोपिया के खसर नम्बर 439/1 में राजस्व रिकॉर्ड में आज भी 176 बीघा दर्ज है, जबकि वन विभाग 209 बीघा 3 बिस्वा गैर मुमकिन पहाड़ बता रहा है, जो पेन्सिल से लिखा हुआ गजट नोटिफिकेशन महेन्द्र कुमार को दिखाया गया, जिसका तत्समय ही नोटिफिकेशन

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट हैं, सीमा पिलरों के निवारण अनुसार सीमा पिलर लगाकर कब्जे सरकार वन विभाग की पूर्ण भूमि है।

(9) राज्यादेश दिनांक 18.03.1991 की पालना सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव श्री बी.बी.एल. माथुर द्वारा राज्य के समस्त जिला कलक्टरों को अर्द्धशासकीय दिनांक द्वारा पाबन्द किया गया। उक्त अर्द्धशासकीय पत्र की पालना में जिला कलक्टर सीकर द्वारा आदेश दिनांक 16.08.1991 से जिला उप संरक्षक सीकर एवं जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को दिनांक 26.08.1991 को बैठक आयोजन हेतु पत्र लिखा। चुंकि इस प्रकरण में खातेदारी अधिकार वर्ष 1976 में ही दे दिये थे अतः बैठक में हमारे लिए कोई निर्णय की आवश्यकता नहीं थी लेकिन शेष वन भूमि आवंटियों को इस बैठक में नियमन किया गया।

(10) दिनांक 25.10.1980 से पूर्व जो वन भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के अभाव में सिवायचक भूमि थी एवं एसे किसी किसान/अनुसूचित जाति/जनजाति को राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटन कर दी गई। उसे नियमन करने के स्पष्ट दिशा निर्देश भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा दिये गए। इसकी पालना में हजारों किसानों को खातेदारी अधिकारी दे दिये गये, जो आज भी खातेदार होकर भूमि पर काबिज हैं।

(11) वर्ष 1976 में लगभग 600 किसानों को ग्राम बोपिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में जो खातेदारी अधिकार दिये गये उसका कोनोलॉजिकल (कालकमबद्ध) विवरण निम्नानुसार है :–

(1) राज्य सरकार (राजस्व विभाग) द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 09.04.1964 में राजस्व भूमि स्थित ग्राम बोपिया तहसील नीमकाथाना सीकर को वन भूमि फोरेस्ट भूमि घोषित किया गया। (2) उक्त भूमि आज दिनांक तक फोरेस्ट विभाग के नाम से अंकित नहीं है बल्कि यह राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीया के नाम से खातेदारी में अंकित है। (3) उक्त भूमि अनुसूचित जाति व जनजाति तथा गरीब किसानों को 01.07.1975 में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार सिवायचक मानते हुए आवंटित की गई। (4) भूमि परामर्श दात्री समिति द्वारा दिनांक 28.06.1971 के आदेश से व्यथित होकर स्थानीय लोगों द्वारा एक अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत की, जिसका निस्तारण दिनांक 30.10.1975 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्री बालकृष्ण शर्मा अपील अस्वीकार की गई तथा अपीलाधीन आदेश भू–आवंटन सलाहाकार समिति, नीमकाथाना दिनांक 28.06.1971 को बहाल रखा गया। (5) राजस्व सचिव (तत्कालीन वन सचिव भी) के परिपत्र दिनांक 25.05.1971 के अनुसार कोई वन भूमि (आरक्षित एवं रक्षित) जो रेवेन्यु रिकॉर्ड के अनुसार राजस्व भूमि है, का आवंटन किसानों के हित में कर दिया गया उसे वन भूमि से पृथक माना जावे और उसका हस्तानान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में कर

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

दिया जाये। (6) जिलाधीश सीकर द्वारा पारित आदेश नम्बर 5529/32 दिनांक 09.07.1974 के अनुसार उक्त भूमि को गैर मुमकिन पहाड़ से वारानी–3, में परिवर्तित करने के आदेश दिये गये। (7) दिनांक 30.06.1976 को खातेदारी अधिकार आवंटियों को प्रदान किये गये। (8) वर्ष 2004 में नीमकाथाना तहसील का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट किया गया एवं उक्त जमीन के सम्बन्ध में नये खसरा नम्बर आवंटित किये गये एवं क्षैत्रफल को मैट्रिक/हैक्टेयर में परिवर्तित किया गया, उस समय भी इस भूमि के सम्बन्ध कोई विवाद राजस्व बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अपीलार्थीया की भूमि को खातेदारी भूमि ही माना गया। (9) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 के अनुसार वन क्षैत्र में यदि भारत सरकार की स्वीकृति के बिना कोई कार्य कलाप किया जाता है, तो उसे तुरन्त रोका जाये। यहां पर यह उल्लेख करना समाचीन होगा कि उक्त आदेश तक उक्त भूमि नहीं थी। उक्त भूमि वर्ष 1975 से 2018 वर्तमान तक खातेदारी भूमि थी, जिसका उपयोग व उपभोग खातेदारों द्वारा किया जाता रहा। (10) वर्ष 1997 में तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा टी गोदावरमन बनाम भारत संघ के प्रकरण में एक शपथ पत्र उच्चतम न्यायालय नयायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि राजस्थान में भारत सरकार की स्वीकृति के बिना वन भूमि पर कोई भी गैर –वानिकी कार्य नहीं चल रहा है। परन्तु उक्त भूमि पर अपीलार्थीया द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृषि कार्य किया जा रहा है।

(12) माननीय एन.जी.टी. (National Green Tribunal -Bhopal) द्वारा पूर्व में चन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में दिनांक 25.02.2014 में भी यह निधारित किया कि- In the light of above, we are inclined to hold that the provisions of the forest (Conservation) Act, 1980 would not apply in the facts and circumstances of the instant case and no exception can be taken to the orders passed in this behalf by the Collector in the year 1961 and the consequential ministerial act of not carrying out those in the records of the right after order of 1994.

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(13) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 2009 (5) S.C.C.373 नेचर लवर मूमेन्ट वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के प्रकरण में निम्न निर्णय दिया है। In Case of person in occupation and carrying out non forestry activities on Forest land prior to coming in to force of the Forest Conservation Act, 1980. it does not require such conversion and approval of Central Goernment, as such activity was being carried out much prior to the coming in to force of the Act 1980 and state Government hterefore itself is compentent under the Act and rule toissue necessary orders. उक्त निर्णय के अनुसार भी अपीलार्थीया की भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू नहीं होता है।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(14) अपीलार्थीया वर्णित भूमि पर काबिज कास्त होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। अपीलार्थीया के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार भी अपीलार्थीया उपरोक्त भूमि पर काबिज कास्त होकर कृषि कार्य कर रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थीया को उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि से बेदखल करने का आदेष प्रदान कर दिये। इस कारण से निर्णय दिनांक 06.04.2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीया को बेदखल नहीं करने की, अपीलार्थीया को कास्त करने में कोई बाधा नहीं डाले ना ही अपीलार्थीया के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों परकिसी प्रकार का कोई कुठाराघात करे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस् की ओर श्री विधाधर सुण्डा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्टस् बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि क्षैत्रीय वन अधिकारी को यदि कोई वाद प्रस्तुत करना होता तो राजस्थान वन अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना होना चाहिए। राजस्व विभाग का खसरा नम्बर 439 कुल 229 बीघा 18 बिस्वा का है जबकि वन विभाग का द्वारा जो गजट जारी किया गया है वह 209 बीघा 3 बिस्वा का है। वन विभाग वर्तमान कब्जा मौका अनुसार 209 बीघा 3 बिस्वा पर काबिज है, जो वन विभाग की सन् 2003–2004 में भू प्रबन्धक विभाग द्वारा सर्वे शीट, मैट्रिक शीट, सैटलमेन्ट किया 2003–04 में व कब्जा मौका अनुसार नहीं होने के कारण जो वन खण्ड बोपिया कागजट भी सैटलमेन्ट द्वारा ही दिया गया है, जबकि वह मूल गजट नोटिफिकेशन व पत्रावली दिनांक 09.04.1964 की तरह मिलान नहीं खाता। राज्य सरकार नोटिफिकेशन के अनुसार वन खण्ड बोपिया में 474.5 एकड़ भूमि का कुल योग सही नहीं है, जबकि पत्रावली में 164.45 है. है तथा इसी वन खण्ड का 411.125 एकड़ जमीन है। इसी गजट नोटिफिकेशन में इतना अन्तर क्यों है। दिनांक 25.10.1980 से पूर्व जो वन भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के अभाव में सिवायचक भूमि थी एवं इसे किसी किसान/अनुसूचित जाति/जनजाति को राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटन कर दी गई। उसे नियमन करने के स्पष्ट दिशा निर्देश भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा दिये गए। अतः अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीया को बेदखल नहीं किया जाना जावे।

जिला कलक्टर, सीकर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

5. रेस्पोडेन्टस् के अभिभाषक ने जवाब में अभिकथन किया कि उक्त अपील अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान वन अधिनियम के तहत पेश की गई है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं है। भूमि आवंटन परामर्श दात्री समिति दिनांक 28.06.1971 जो ग्राम फतेहपुरा, रामसिंहपुरा, बोपिया में आयोजित हुई, में ग्राम बोपिया के खसरा नम्बर 439 में आवंटन करने के सम्बन्ध में गैर मुमकिन भूमि की किस्म बदलने के पश्चात तथा जंगलात की भूमि जंगलात विभाग से मुक्त कर दिये जाने के पश्चात जारी करने की सिफारिश की गई तथा तहसीलदार नीमकाथाना को प्रार्थना की गई कि उक्त भूमि जंगलात विभाग से मुक्त करवाने व गैर मुमकिन भूमि किस्म तब्दील करवाने की आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावे। उक्त भूमि आवंटन परामर्श दात्री समिति द्वारा आवंटन से पूर्व जंगलात भूमि को जंगलात विभाग से बाहर निकालने बाबत सिफारिश कर तहसीलदार नीमकाथाना को निर्देशित किया गया लेकिन तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा बिना विधिवत् वन भूमि को जंगलात विभाग से निकाले बिना आवंटन आदेश आवंटियों को आवंटन कर दिया गया। जो विधि विरूद्व था तथा उक्त आवंटन शुन्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगौर अवलोकन किया कि भूमि आवंटन परामर्श दात्री समिति द्वारा दिनांक 28.06.1971 ग्राम बोपिया के खसरा नम्बर 439 में आवंटन करने के सम्बन्ध में गैर मुमकिन भूमि की किस्म बदलने के पश्चात तथा जंगलात की भूमि जंगलात विभाग से मुक्त कर दिये जाने के पश्चात जारी करने की सिफारिश की गई तथा तहसीलदार नीमकाथाना को निर्देशित किया कि उक्त भूमि जंगलात विभाग से मुक्त करवाने की आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावे। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत् वन भूमि को जंगलात विभाग से मुक्त करवारकर आवंटन किया हो ऐसा कोई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस् द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में बहस की है, जबकि प्रकरण भू राजस्व की धारा 91 के तहत प्रस्तुत किया है, जो एक संक्षिप्त प्रकिया है। रेस्पोडेन्टस् के अभिभाषक का यह अभिकथन भी सही नहीं है कि राजस्थान वन अधिनियम की धारा 17 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 17 के तहत राजस्व विभाग के जिलाधीश को ऐसे प्रकरणों में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

सहायक वन संरक्षक सीकर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपना विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक सीकर के आदेश में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांकः 31 जनवरी, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner